DANI Civil Service can be made when the revised seniority lists of DASS are finalised. However, pending regular appointments, Delhi Administration and Andaman Administration have made certain ad-hoc appointments against duty posts of DANI Civil Service. This service shall count towards the eligibility period for promotion to the next grade i.e. Selection grade of the service, as per the provisions of DANI Civil Service Rules, 1971.

दहेज के कारण होने वाली मौतें

2580. **श्री ईश दत्त यादव :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1988 से अब तक दिल्ली, उत्तर प्रदेश तथा देश के अन्य भागों में दहेज के कारण हुई मौतों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) दहेज उन्मूलन और इसके दुष्परिणामों को रोकने की दिशा में सरकार द्वारा क्या-क्या तत्काल तथा दीर्घकालिक उपाय किए गए हैं और उनके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि दहेज से होने वाली मौतों की संख्या में वृद्धि हो रही है ; यदि हां तो इस वृद्धि को कब तक नियंत्रण में लाया जाएगा और अब तक इस दिशा में सरकार की विफलता के क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) 1-1-1988 से 31-10-1988 की अवधि के दौरान राज्यवार और संघ शासित क्षेत्र-वार दहेज के कारण हुई मौतों की दर्ज हुई संख्या के मामलों का विवरण संलग्न है (**नीचे देखिए**) ।

(ख) दहेज निषेध अधिनियम, 1961 को अधिक कड़ा बनाने के लिए वर्ष 1984 और 1986 में संशोधन किया गया है। भारतीय दंड संहिता, अपराध प्रक्रिया संहिता, 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में भी न केवल ऐसे मामलों से प्रभावकारी ढंग से निपटाने के लिए बल्कि विवाहित महिलाओं पर अत्याचार के मामलों से भी निपटने के लिए संशोधन किया गया है ।

(ग) वर्ष 1985, 1986 और 1987 के दौरान राज्यवार और संघ शासित क्षेत्र-वार "दहेज के कारण हुई मौतों" के सूचित मामलों का एक विवरण दिनांक 24-11-1988 को अतारांकित प्रश्न संख्या 1712 के उत्तर में पहले ही सदन के पटल पर रखा जा चुका है। दहेज एक सामाजिक बुराई है, जिसके उन्मूलन के लिए समाज के सभी वर्गों द्वारा निरंतर प्रयत्न किए जाने की आवश्यकता है ।

विवरण

1-1-1988 से 31-10-1988 की अवधि के दौरान दर्ज "दहेज के कारण हुई मौतों" का राज्यवार और संघ शासित/क्षेत्रवार मामलों की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	दहेज के कारण हुई मौतों के दर्ज मामलों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4
	राज्य		
1.	आंध्र प्रदेश	72	जून, 1988 तक
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	सितम्बर, 1988 तक

1	2	3	4
3.	असम	2	जुलाई, 1988 तक
4.	बिहार	उ० न०	
5.	गुजरात	19	जून, 1988 तक
6.	गोवा	शून्य	अक्तूबर, 1988 तक
7.	हरियाणा	उ० न०	
8.	हिमाचल प्रदेश	6	सितम्बर, 1988 तक
9.	जम्मू और कश्मीर	शून्य	जून, 1988 तक
10.	कर्नाटक	145	सितम्बर, 1988 तक
11.	केरल	6	सितम्बर, 1988 तक
12.	मध्य प्रदेश	उ० न०	
13.	महाराष्ट्र	229	सितम्बर, 1988 तक
14.	मणिपुर	शून्य	सितम्बर, 1988 तक
15.	मेघालय	शून्य	अगस्त, 1988 तक
16.	मिजोरम	शून्य	सितम्बर, 1988 तक
17.	नागालैण्ड	शून्य	सितम्बर, 1988 तक
18.	उड़ीसा	15	अगस्त, 1988 तक
19.	पंजाब	39	सितम्बर, 1988 तक
20.	राजस्थान	84	सितम्बर, 1988 तक
21.	सिक्किम	शून्य	सितम्बर, 1988 तक
22.	तमिलनाडु	59	सितम्बर, 1988 तक
23.	त्रिपुरा	6	सितम्बर, 1988 तक
24.	उत्तर प्रदेश	584	सितम्बर, 1988 तक
25.	पश्चिम बंगाल	83	अगस्त, 1988 तक
संघ शासित क्षेत्र			
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	शून्य	अक्तूबर, 1988 तक
27.	चण्डीगढ़	1	सितम्बर, 1988 तक
28.	दादरा और नगर हवेली	शून्य	अक्तूबर, 1988 तक
29.	दिल्ली	38	अगस्त, 1988 तक
30.	दमण और दीव	शून्य	अक्तूबर, 1988 तक
31.	लक्षद्वीप	उ० न०	
32.	पाण्डिचेरी	शून्य	सितम्बर, 1988 तक

टिप्पणी : 1. आंकड़े मासिक अपराध संख्या पर आधारित हैं तथा अस्थाई समझे जाएं।
2. पश्चिम बंगाल के आंकड़े में कलकत्ता शहर सम्मिलित नहीं है।
3. उ. न. का अर्थ है उपलब्ध नहीं।